न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 219/24

वादी :–

1–हरीराम पुत्र जेठाराम जातिजाट
निवासी थाट तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1 –सुखाराम पुत्र जेठाराम
2–सुप्यारीदेवी पत्नी तेजाराम
3–सन्तुदेवी पुत्री जेठाराम
4–भंवरीदेवी पुत्री जेठाराम
5–सीतादेवी पुत्री जेठाराम
6–गोदाराम पुत्र छोटीदेवी पुत्री जेठाराम
7–शोभादेवी पुत्री छोटीदेवी पुत्री जेठाराम
8–शोभादेवी पुत्री धापूदेवी पुत्री जेठाराम
9–बाबुराम पुत्र धापूदेवी पुत्री जेठाराम
10–सम्पतराम पुत्र धापूदेवी पुत्री जेठाराम
11–मोटाराम पुत्र धापूदेवी पुत्री जेठाराम
12–छोटाराम पुत्र धापूदेवी पुत्री जेठाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण थाट तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
13–तहसीलदार रियांबड़ी
14–पटवारी हल्का लाम्पोलाई

दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :– दिनांक :– 13/8/24

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 हिन्दु है व हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है।

2–यह है कि मौजा थाट कीसरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 228 रकबा 1.89 हैक्टर,खसरा नंबर 503/167 रकबा 0.84 हैक्टर, कुल रकबा 2.73 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की जावेगी।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की काश्त व कब्जासुद थी। जिनक`स्वर्गवास बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 को उतराधिकार में प्राप्त हुई इसी प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादी की माता तिजुड़ी देवी का देहान्त हो चूका है जिसके वारीसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 है।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ने वादग्रस्त खसरान का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा आज से काफी वर्ष पूर्व कर लिया है। जिसमें मौजा थाट की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 228 रकबा 1.89 हैक्टर,खसरा नंबर 503/167 रकबा 0.84 हैक्टर, कुल रकबा 2.73 हैक्टर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 का प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा रखा गया है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 12 ने अपना हक व बंट की एवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली जिसे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवदीगण संख्या 2 ता 12 का कोई हक व अधिकार काश्त व कब्जा नहीं है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त काश्त कब्जासुदा है।

5–यह है कि वादी इस्तदुआ यह है कि दावा वादी की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मेंखर्चा के निम्न लिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी
जिला–नागौर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। दिनांक 16.7.2024 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो राजीनामा हो गया। इसलिए इस दिनांक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6, 8 से 12 मय वकील के हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया जो बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया। व दिनांक 22.7.2024 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 7 का राजीनामा वकील प्रतिवादी ने पेश किया जो बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व अभिलेखो का अवलोकन किया गया। तथा अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया जिससे वादी का वादी जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिकी बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार सादिर फरमाया जाता है कि '–

वादी के बंट में:–

" मौजा थाट कीसरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 228 रकबा 1.89 हैक्टर में सें रकबा 0.9450 हैक्टर, खसरा नंबर 503/167 रकबा 0.84 हैक्टर में सें रकबा 0.42 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :–

" मौजा थाट कीसरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 228 रकबा 1.89 हैक्टर में सें रकबा 0.9450 हैक्टर, खसरा नंबर 503/167 रकबा 0.84 हैक्टर में सें रकबा 0.42 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार।

नोट–प्रतिवादीगण संख्या 2 से 12 ने अपने हक व बंट कीएवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली व अपना कोई बंट नहीं रखा है जिससे वादग्रस्त की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 12 का कोई अधिकार कब्जा काश्त नहीं होने प्रतिवादीगण संख्या 2 से 12 का व तेजाराम,तिजुड़ी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी घोषित की जाती है।

अतः तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर सेपरेट पजेशन कायम करवावे व राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर लगान अलग से कायम करें। इसी आशय की तहरीर तहसीदार रियांबड़ी को जारी हो। एवं इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

जिला नागौर